

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

189/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2024/551

वादी

बनाम

प्रतिवादी

करनाराम पुत्र रूपाराम

जाति मेघवाल

निवासी बलाऊ जाती

तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1. अमियो पत्नि खंगारराम
 2. तिलाराम पुत्र खंगारराम
 3. मूलाराम पुत्र खंगारराम
 4. हड़मानराम पुत्र खंगारराम
 5. देदाराम पुत्र सिमरथाराम
 6. लालाराम पुत्र सिमरथाराम
 7. रेवतराम पुत्र गोकलराम
- जाति मेघवाल निवासी बलाऊ जाती
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
8. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955उपस्थिति

1. श्री चेलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 31.10.2025



संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा बलाऊ जाती तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 368/139 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 17.6.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर


सरहद मौजा बलाऊ जाती तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 368/139 क्षेत्रफल 1.2950 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग	बरंग
1	करनाराम पुत्र रूपाराम हि. पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	बलाऊ जाती	368/139	0.2158	बा.सो.	0.16	लाल
2	1. अनियो पत्नि खंगारराम हि. 17/666 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 2. तिलाराम पुत्र खंगारराम हि. 17/666 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 3. देदाराम पुत्र सिमस्थाराम हि. 133/333 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 4. मूलाराम पुत्र खंगारराम हि. 17/666 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 5. रेवन्तराम पुत्र खंगारराम हि. 11/111 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 6. लालाराम पुत्र सिमस्थाराम हि. 133/333 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार 7. हड़नाराम पुत्र खंगारराम हि. 17/666 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	बलाऊ जाती	368/139	1.0792	बा.सो.	0.80	काला

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।


(अशोक कुमार) 31/10/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा


सहायक कलक्टर 31/10/2025
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 189/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/551

वादी

बनाग

प्रतिवादी

करनाराम पुत्र रूपाराम

जाति मेघवाल

निवासी बलाऊ जाती

तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

1. अभियो पत्नि खंगारराम
 2. तिलाराम पुत्र खंगारराम
 3. मूलाराम पुत्र खंगारराम
 4. हड़गानराम पुत्र खंगारराम
 5. देदाराम पुत्र सिमरथाराम
 6. लालाराम पुत्र सिमरथाराम
 7. रेवतराम पुत्र गोकलराम
- जाति मेघवाल निवासी बलाऊ जाती
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
8. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 61/2020

निर्णय दिनांक :-31.10.2025

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 31.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 31.10.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार) 31/10/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	-----	जोड़	-----



[Handwritten Signature]
सहायक कलक्टर 31/10/2024
(एस.डी.ओ.) बालोतरा